योगी कैबिनेट : इलेक्ट्रिक वाहन नीति मंजूर, ईवी खरीद पर फैक्टरी मूल्य पर 15% सब्सिडी

यूपी में बने इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण और रोड टैक्स पर पांच साल तक पूरी छूट

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। यूपी कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 समेत 28 प्रस्तावों को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी। यूपी में बनने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को नीति लागू होने के बाद से पांच वर्ष तक पंजीकरण व रोड टैक्स में पूरी छूट दी जाएगी। वहीं, प्रदेश से बाहर बनने वाले ईवी को तीन वर्ष तक छूट मिलेगी। यही नहीं, इसकी खरीद पर फैक्टरी मूल्य पर 15 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति के तहत पांच वर्ष में 30 हजार करोड़ का निवेश आकर्षित करने और दस लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने लोकभवन स्थित मीडिया सेंटर में कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते बताया कि उपभोक्ताओं को ईवी की खरीद के लिए प्रोत्साहित करने, निर्माणकर्ताओं को निवेश के लिए प्रोत्साहन देने व बैटरी स्वैपिंग सेवाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इस नीति के तहत 500 करोड़ रुपये का निवेश करने वाली पहली पांच मेगा ईवी परियोजना और 300 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली पहली 6 मेगा ईवी बैटरी परियोजना को 20 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। शासनादेश जारी होते ही नीति लागू हो जाएगी।

बाहर निर्मित ईवी को तीन वर्ष तक छूट

01 लाख रुपये की छूट चार पहिया ईवी पर

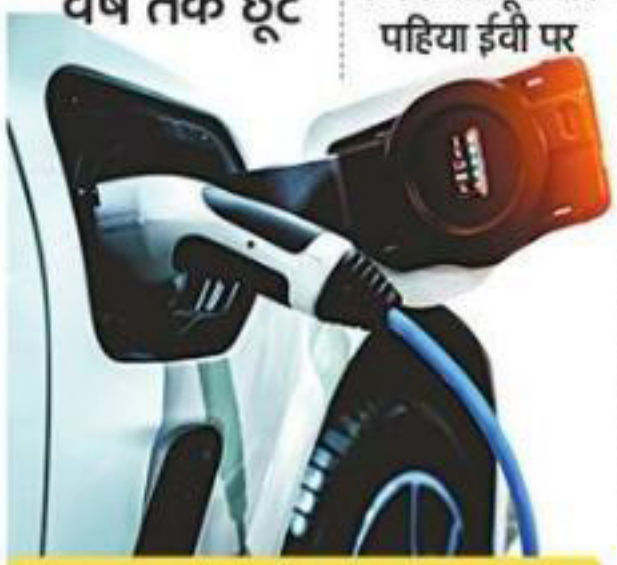

30,000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य

10 लाख रोजगार की उम्मीद

नीति लागू होने के बाद क्या-क्या फायदे

दो पहिया ईवी पर पांच हजार की छूट

- पहले एक हजार ई-गुड्स कैरियर वाहन की खरीद पर एक-एक लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
- पहले दो लाख दो पहिया ईवी पर 5 हजार, पहले 50 हजार तीन पहिया ईवी पर 12 हजार की छूट मिलेगी।
- शुरुआती 25 हजार चार पहिया ईवी पर एक-एक लाख, पहली 400 ईवी बस पर 20-20 लाख की सब्सिडी।

सरकारी कर्मियों को अग्रिम राशि

- सरकारी कर्मचारियों को ईवी खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए सरकार अग्रिम राशि देगी।

चार्जिंग स्टेशन पर दस लाख सब्सिडी

पहले दो हजार चार्जिंग स्टेशन के सेवा प्रदाताओं को चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, पहले एक हजार स्वैपिंग स्टेशनों को 5 लाख की सब्सिडी दी जाएगी।

स्टांप ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट मिलेगी

- एकीकृत ईवी परियोजना और अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजना स्थापित करने पर स्टांप ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी।
- मेगा, वृहद, एमएसएमई परियोजना के लिए पूर्वांचल व बुंदेलखंड में 100 प्रतिशत, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर को छोड़कर मध्यांचल व पश्चिमांचल में 75 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
- गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में स्टांप ड्यूटी पर 50 प्रतिशत छूट। प्रति परियोजना अधिकतम दस लाख रुपये गुणवत्ता प्रमाणन शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाएगी। पेटेंट पंजीकरण शुल्क घरेलू पेटेंट पंजीकरण पर 50 हजार रुपये और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट पंजीकरण शुल्क पर दो लाख रुपये तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।

प्राकृतिक खेती बोर्ड के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री

योगी कैबिनेट ने प्राकृतिक खेती बोर्ड के गठन को हरी झंडी दे दी। बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। उपाध्यक्ष कृषि मंत्री और वित्त मंत्री जबकि कृषि विपणन, उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन एवं दुग्ध विकास, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, सहकारिता, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग के मंत्री इसके सदस्य होंगे। इन सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव भी इसके सदस्य होंगे। राज्य में प्राकृतिक खेती करने वाले 2 किसानों को मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में इस बोर्ड में नामित कर सकेंगे।

अब एमएसपी पर मक्का व बाजरा की खरीद

योगी कैबिनेट ने प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मक्का और बाजरा खरीद की मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मुताबिक 2023 अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसी क्रम में मक्का के लिए 1962 रुपये प्रति क्विंटल और बाजरा के लिए 2350 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया गया है। मक्का के लिए एक लाख मीट्रिक टन और बाजरा के लिए 50 हजार मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में मक्का के लिए 100 और बाजरा के लिए 25 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे।

वस्त्र एवं गारमेंट्स नीति से 10 हजार करोड़ के निवेश व पांच लाख रोजगार की राह खुली

उप्र. वस्त्र एवं गारमेंट्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी मिल गई है। इससे 10 हजार करोड़ के निजी निवेश की उम्मीद है, जो पांच लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इस पॉलिसी में किसी प्रकार के संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। इस पॉलिसी के लागू होने से प्रदेश को वैश्विक स्तर के वस्त्र निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकेगा।

दुग्ध प्रसंस्करण इकाई पर 15 करोड़ रुपये तक की छूट

यूपी में दुग्ध प्रसंस्करण की इकाई लगाने पर 15 करोड़ तक की छूट मिलेगी। इसमें 5 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी के अलावा पांच वर्षों के लिए 10 करोड़ रुपये ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा। कैबिनेट ने इससे संबंधित नीति को मंजूरी दे दी। इससे पांच साल में पांच हजार करोड़ का निवेश होगा और सवा लाख रोजगार सृजित होगा।

>> कैबिनेट के अन्य फैसले : पेज 2